संख्या-173/2018/2554/26-3-2018-4(358)/07टी.सी.।।।

प्रेषक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2- निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
3- निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
4- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक-13 अगस्त 2018

विषय:- वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र-2018-19 में दशमोत्त छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति (समूह 1 2 3 व 4 से सम्बन्धित पाठ्यक्रम एवं कक्षा 11-12) योजनान्तर्गत मास्टर डाटाबेस तैयार करने सत्यापन लाक करने हेतु पूर्व समय-सारिणी को संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, समाज कल्याण के पत्र संख्या-1653-54/स0क0/ शिक्षा-अ/3/95/ दश0स0सा0/ 2018-19, दिनांक-31.07.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र-2018-19 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति (समूह 1, 2, 3 व 4 से सम्बन्धित पाठ्यक्रम एवं कक्षा 11-12) योजनान्तर्गत मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लाक करने हेतु पूर्व समय-सारिणी को संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-133/2018/1213/ 26-3-2018-4(358)/07 टी0सी0III दिनांक 02 मई 2018 द्वारा दशमोत्तर कक्षाओं के शिक्षण संस्थाओं/पाठ्यक्रमों आदि के मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने आदि से लेकर विभिन्न कार्यवाहियों हेतु वर्ष 2018-19 के लिये विस्तृत समय सारिणी जारी की गयी थी।

इस संदर्भ में प्रमुख सचिव, पिछडा वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी कार्यवृत्त दिनांक 08 जून 2018 में लिये गये उच्च स्तरीय निर्णय के अनुसार संस्थाओं से नान-रिफण्डेबिल अनिवार्य शुल्क के अतिरिक्त शिक्षण शुल्क मास्टर डाटा में भरवाने का निर्णय लिया गया था। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अभी भी लगभग 500 संस्थाओं द्वारा मास्टर डाटा लाक नहीं किया गया है। इस कारण संस्थाओं को मास्टर डाटा लाक करने हेतु एक सप्ताह का अतिरिक्त समय देने के लिये पूर्व जारी समय-सारिणी के बिन्दु संख्या-1 एवं तदनुसार क्रम संख्या-2 एवं 3 में निम्नानुसार संशोधन प्रस्तावित है:-

क्र0	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	कार्यवाही की पूर्व की समयावधि कक्षा 11-12 एवं अन्य समस्त दशमोत्तर कक्षाओं हेतु	कार्यवाही की प्रस्तावित समयावधि कक्षा 11-12 एवं अन्य समस्त दशमोत्तर कक्षाओं हेतु
1	2	3	4
1	प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर (अन्य प्रदेशों में) स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करने की कार्यवाही किया जाना, जिला समाज कल्याण अधिकारी/योजनाधिकारी (वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति) से पासवर्ड प्राप्त करना (नवीन संस्थायें) एवं मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनायें भरकर/अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना।	01 जून 2018 से 30 जुलाई 2018 तक	07 अगस्त 2018 तक
2	सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य अफलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) द्वारा शिक्षण संस्था,	31 जुलाई 2018 से 30 अगस्त 2018 तक	08 अगस्त 2018 से 30 अगस्त 2018 तक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

	पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार एवं फीस आदि को अंकित करना तथा उसकी प्रमाणिकता को आॅनलाईन सत्यापित करना एवं परीक्षा परिणाम लागिन में यथा स्थान अपलोड करना।		
3	योजनाधिकारी, वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति (अन्य प्रदेशों में स्थित संस्थानों हेतु) एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के सहयोग से सभी संस्थानों के प्रकार एवं फीस का विवरण आनलाइन लाक किया जाना।	31 अगस्त 2018 से 30 सितम्बर 2018 तक	31 अगस्त 2018 से 20 सितम्बर 2018 तक

इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गयी है कि प्रत्येक जनपद में मा0 प्रभारी मंत्री/जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में प्रतिवर्ष 02 अक्टूबर व 26 जनवरी को छात्रवृत्ति वितरण दिवस समारोहपूर्वक कार्यक्रम आयोजित किया जाय। 02 अक्टूबर 2018 को समारोह आयोजित करने से पूर्व माह सितम्बर 2018 के अन्तिम सप्ताह में धनराशि का वितरण भी सुनिश्चित किया जाना है तथा इससे पूर्व जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा भी मास्टर डाटा की फीस लाक किया जाना आवश्यक है, इसलिये उक्त बिन्दु संख्या-3 की समय-सीमा को भी 10 दिन कम करते हुये पुनः निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव है।

अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों एवं उपरोक्त संशोधित समय-सारिणी के अनुसार शैक्षिक सत्र 2018-19 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

अनूप चन्द्र पाण्डेय
मुख्य सचिव।

पृ0सं0- 173/2018/2554 (1)/26-3-2018 तद्दिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/वित्त/नियोजन/मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/ चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0शासन।
3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0लखनऊ।
6- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
7- कुल सचिव, अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
10- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

मनोज सिंह
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in